प्रेषक ,

गोपनीय

आयुक्त एवं सचिव ,
राजस्व परिषद , उत्तर प्रदेश ,
सीलिंग अनुभाग-15 ,
लखनऊ ।

सेवा में ,

समस्त जिलाधिकारी ,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या 13 /15-सीलिंग-39/75 दिनांक मार्च 19 , 1976

विषय :- उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश 1976 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1976) के कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देश ।

महोदय ,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 277/राजस्व-1/76-1 (36)/75 दिनांक 20-2-76 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधन अधिनियम 1974 तथा संशोधन अध्यादेश 1975 के सम्बन्ध में निर्देश क्रमशः परिषदादेश संख्या 49/15-सीलिंग-8/74 दिनांक 16-7-75 तथा संख्या 1/15-सी-39/75 दिनांक 1-1-76 द्वारा प्रसारित किये गये थे ।

2- संशोधन अध्यादेश 1976 के कार्यान्वयन के विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अध्यादेश द्वारा किये गये संशोधनों का आशय शासनादेश संख्या 277/राजस्व-1/76-1 (36)/75 दिनांक 20-2-76 द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है आशा है कि आपने इन संशोधनों का ज्ञान सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को करा दिया होगा । मार्ग दर्शन के लिये अध्यादेश 1976 के मुख्य 2 उपबन्धों पर अग्रेतर प्रस्तरों में आवश्यक निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं ।

3- संशोधन अध्यादेश 1976 द्वारा संशोधन अध्यादेश 1975 (अध्यादेश संख्या 31) को पुनः अधिनियमित किया गया है इसके साथ ही इस अध्यादेश द्वारा मूल अधिनियम में कुछ नये संशोधन भी किये गये हैं जिनका समावेश संशोधन अध्यादेश 1975 में नहीं किया जा सका था ।

4- अध्यादेश के खण्ड-16 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा(1) के स्पष्टीकरण 2 में संशोधन किया गया है । धारा 5 की उपधारा(1) के पश्चात संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा स्पष्टीकरण 1 तथा 2 बढ़ाये गये थे और इसके सम्बन्ध में परिषदादेश संख्या 49/15-सी-8/74 दिनांक 16-7-75 के प्रस्तर 7 में निर्देश प्रसारित किये गये थे जिसमें खातेदारों द्वारा धृत जोतों की जांच 1367 फसली से किये जाने के निर्देश दिये गये थे । अब स्पष्टीकरण 2 में संशोधन कर के यह व्यवस्था की गई है कि " यदि 24-1-1971 को या उसके पूर्व कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास थी जिसका कृषकीय कब्जा उस पर अब भी चला आ रहा है और उस दिनांक के पश्चात वार्षिक रजिस्टरों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित किया गया हो तो ऐसी भूमि उस व्यक्ति की मानी

क्रमशः - 2

जायेगी जो उस भूमि को धृत किये हुये है और जो व्यक्ति जिसका नाम बताया गया है बेनामी मातेदार माना जायेगा जब तक कि नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार मातेदार इसके प्रतिकूल साबित न कर दे। उक्त संशोधन 24-1-71 से प्रभावी किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम स्पष्टीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिसके अनुसार हर मातेदार द्वारा धृत समस्त भूमि चाहे वह स्वयं उसके नाम अंकित हो या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम अंकित हो, मातेदार की ही जानते हुये जोत सीमा आरोपण की कार्यवाही की जायेगी। स्पष्टीकरण (2) में संशोधन के पश्चात्वर्ती जिन मामलों में 24-1-71 के पूर्व दूसरे लोगों के नाम भूमि पर अंकित हो गये हैं वहां यह सिद्ध करने का भार कि भूमि दिखाने के लिये दूसरों के नाम अंकित है और वास्तविक कब्जा धृत मातेदार का ही है, मातेदार पर न हो कर शासन पर होगा। इस बात में शासन को कठिनाई हो सकती है अतएव यह आवश्यक होगा कि शासन की ओर से पैरवी करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि 24-1-71 के पूर्व जिन मामलों में भूमि दूसरों के नाम अंकित हो गई है परन्तु वास्तविक कृषकीय कब्जा धृत मातेदार का ही चला आ रहा है वहां मातेदार का कृषकीय कब्जा सिद्ध करने तथा यह सिद्ध करने के लिये कि दूसरे व्यक्ति का नाम दिखावे के तौर पर ही अंकित है, शासन की ओर से पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर प्रस्तुत किया जाय। ऐसे मामलों में अनिवार्य रूप से मातेदारों से उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के विवरण संशोधन अध्यादेश 1975 द्वारा बढ़ाई गई धारा 39(क) के अन्तर्गत मांगा जाय जहां भी संभव हो उसको गलत सिद्ध करने के लिये प्रमाण एकत्र कर प्रस्तुत किये जांय।

5- अध्यादेश के खण्ड 11 (ग) तथा 12 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) तथा 15 में संशोधन कर दिया गया है। इस प्रकार अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि धारा 15 के अन्तर्गत पसल संग्रहीत करने अथवा काटने के लिये जो अनुज्ञा केवल उसी पसल के लिये दी जाय जो धारा 14(1) की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को अतिरिक्त भूमि पर खड़ी हुई हो। इस अधिसूचना के दिनांक के पश्चात यदि मातेदार द्वारा कोई पसल बो दी जाती है तो ऐसी पसल को संग्रहित करने का कोई अवसर मातेदार को नहीं दिया जायेगा चाहे वह अतिरिक्त भूमि पर और किसी

क्रमशः - 3

असंग्रहीत फसल या वृक्षों के फल पर कब्जा ले लिया जायेगा। कलेक्टर इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

मूल अधिनियम की धारा 15 अब केवल उसी असंग्रहित फसल या वृक्षों के फल पर लागू होगी जो धारा 14(1) के अधीन अधि सूचना के दिनांक को विद्यमान हों। उसमें कोई अनुवर्ती फसल या वृक्षों के फल सम्मलित नहीं होंगे।

6- अध्यादेश के खण्ड-23 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 35 में संशोधन कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विवरण पत्र या शपथ पत्र न प्रस्तुत करना, गलत सूचना प्रस्तुत करना, इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करना, किसी भूमि पर कब्जा लेने में रुकावट डालना, या धारा 5 की उपधारा 8, धारा 6 की उपधारा 2 के उल्लंघन पूर्वक किसी भूमि का अन्तरण करना यह सब दंडनीय बना दिये गये हैं। अनाधिकृत काबिज व्यक्तियों को अर्थ दण्ड अथवा कारावास अथवा दोनों से दंडित करने की कार्यवाही के साथ साथ कलेक्टर को यह भी अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि वह अतिरिक्त घोषित भूमि पर से अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को बेदखल करके भूमि पर पुनः कब्जा करें। इसके लिये उतने बल का प्रयोग किया जा सकता है जो अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्ति को बेदखली के लिये आवश्यक हो।

7- अध्यादेश के खण्ड- 24 द्वारा नई धारा 35(क) बढा दी गई है जिसके द्वारा अब यह व्यवस्था की गई है कि कोई न्यायालय राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में उक्त धारा के अन्तर्गत अनुमति देने के लिये सभी जिलों के जिलाधिकारियों को प्राधिकृत करने हेतु आवश्यक निदेश अलग से शासन द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

8- अध्यादेश के खण्ड 30 के द्वारा संक्रमण कालीन उपबन्धों के खण्ड (6) को संशोधन कर दिया गया है अब जिन मामलों में निर्धारण तालिका दिनांक 10-10-75 के पूर्व अन्तिम हो चुकी है।

क्रमशः - 4

उनमें निर्धारण तालिका को इस अध्यादेश द्वारा मूल अधिनियम की अनुसूची में किये गये संशोधनों के फलस्वरूप संशोधित करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

भवदीय

(न०प्र० वातल)
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या 13 (1)/15-सीलिंग-39/75 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।

2- उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त ।

3- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त(लेखा)राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- समस्त मण्डलीय लेखाधिकारी, राजस्व परिषद ।

5- सहायक प्रतिकर आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- परिषद के समस्त अधिकारीगण ।

आज्ञा से,

(न०प्र० वातल)
आयुक्त एवं सचिव ।